न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 120/2018

अनवान :

1. भगतसिह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार आयु 36 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. भजनलाल पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. शीला देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी साहबराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 6 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनमानगढ़।
4. सुशीला देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी गुलाब सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 25 सरदारपुराबास दुर्गा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
5. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नी विक्रम जाति कुम्हार नि0 वार्ड नं0 6 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
6. प्रवीणा पुत्री अमरसिंह पत्नि पवन कुमार जाति कुम्हार नि0 वार्ड नं06 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
7. बैंक पी.एन.बी. शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री संजीव कुमार कौशिक: **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 13-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 33 की 1.126 है0 बारानी, खसरा सं0 87 की 5.223 है0, खसरा सं0 250 की 8.777 है0 बारानी और खसरा सं0 345 की 11.799 है0 बारानी कुल 26.925 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है जो हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है और वादी के पिता अमरसिंह को वादी के दादा तुलछा राम से प्राप्त हुई है उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है उक्त वाद भूमि पारिवारिक सेंटलमेंट के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहें है प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 वादी की बहिने है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाइयों वादी और प्रतिवादीगण सं0 2 के पक्ष में तर्क की हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 6 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 7 को तर्क किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

साक्ष्य वादी में भगतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 5/5 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2029–38 की प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी के पिता अमरसिंह को वादी के दादा तुलछा राम से प्राप्त हुई है उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2029–38 की प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा तुलछा वल्द लुणा के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में अमरसिंह के वारिसान में पत्नी मीरा, दो पुत्र भगतसिंह, भजनलाल व चार पुत्रीयां शीला देवी, सुशीला देवी, राजबाला, प्रविणा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 33 की 1.1260 है0 बारानी, खसरा सं0 87 की 5.2230 है0, खसरा सं0 250 की 8.7770 है0 बारानी और खसरा सं0 345 की 11.7990 है0 बारानी कुल 26.9250 है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 दोनों के नाम 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/7 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 120/2018

अनवान :

1. भगतसिह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार आयु 36 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. भजनलाल पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. शीला देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी साहबराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 6 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनमानगढ़।
4. सुशीला देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी गुलाब सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 25 सरदारपुराबास दुर्गा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
5. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नी विक्रम जाति कुम्हार नि0 वार्ड नं0 6 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
6. प्रवीणा पुत्री अमरसिंह पत्नि पवन कुमार जाति कुम्हार नि0 वार्ड नं0 6 सुरेवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
7. बैंक पी.एन.बी. शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबधंक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री संजीव कुमार कौशिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 33 की 1.1260 है0 बारानी, खसरा सं0 87 की 5.2230 है0, खसरा सं0 250 की 8.7770 है0 बारानी और खसरा सं0 345 की 11.7990 है0 बारानी कुल 26.9250 है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 दोनों के नाम 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/7 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-6-18......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)